



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)  
PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 73(अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी :-

(i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप-नियम (1) में "नियम, 2007" के स्थान पर "नियम, 2008" पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 7 में, "प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप  
[नियम 11(1)(क) देखें]", के स्थान पर,

"भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप  
[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) देखें]". पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 8 में, "प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप  
[नियम 11(1)(क) और (4) देखें]", के स्थान पर,

"भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्ररूप-ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) और 11(4) देखें]". पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, "उपाबंध 2

[नियम 8(ज) देखें]". के स्थान पर,

"उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]". पढ़ें;

(v) पृष्ठ 10 में, "उपाबंध 3

[नियम 8(ज) देखें]". के स्थान पर,

"उपाबंध 3

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]". पढ़ें;

- (vi) पृष्ठ 10 के अंत में,  
 “[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]  
 डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव” अंतःस्थापित करें।  
 [फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]  
 डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 73(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date:—

- (i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1, for “Rules, 2007”,  
 read “Rules, 2008”;
- (ii) at page 15,  
 for “FORM-A  
 CLAIM FORM FOR RIGHTS TO  
 FORESTLAND  
 [See rule 11(1)(a)]”,  
 read “Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs  
 FORM-A  
 CLAIM FORM FOR RIGHTS TO  
 FOREST LAND  
 [See rule 11(1) (a) of the Scheduled  
 Tribes and Other Traditional Forest  
 Dwellers (Recognition of Forest Rights)  
 Rules, 2008]”;
- (iii) at page 16,  
 for “FORM - B

CLAIM FORM FOR COMMUNITY  
 RIGHTS

[See Rule 11(1) (a) and (4)]”.

read

“Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs  
 FORM-B

CLAIM FORM FOR COMMUNITY  
 RIGHTS

[See rule 11(1) (a) and 11(4) of the  
 Scheduled Tribes and Other Traditional  
 Forest Dwellers (Recognition of Forest  
 Rights) Rules, 2008]”;

- (iv) at page 17,

for

“ANNEXURE- II

[See Rule 8(h)]”.

read

“ANNEXURE-II

Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes  
 and Other Traditional Forest Dwellers  
 (Recognition of Forest Rights) Rules,  
 2008]”;

- (v) at page 18,

for

“ANNEXURE-III

[See Rule 8(h)]”.

read

“ANNEXURE-III

Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other  
 Traditional Forest Dwellers (Recognition  
 of Forest Rights) Rules, 2008]”;

- (vi) at page 18, at the end,

insert

“[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]  
 Dr. Bachittar Singh, Joint Secretary”.

[F.No. 17014/2/2007-PC&V (Vol.VII)]

Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.